

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 05 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 150000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 350000/- (तीन लाख पचास हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)/ दावेदार	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० रीमा देवी, 27, अ० पि० वर्ग	श्री मिथलेश कुमार(पति)	496/2.12.19	ग्रा०-बल्लोपुर, पो०-बेलछी, था०-हलसी, लखीसराय	31150131 076404	BGB Tarhari, PUNB0MBGB 06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूरी का कार्य
2	स्व० मनना महतो, 41, श्री मंगल महतो, अ० पि० वर्ग	श्रीमती प्रियंका देवी(पत्नी)	495/2.12.19	ग्रा०+पो०-बड़हिया, था०+जि०-लखीसराय	33463615 719	SBI Barahiya, SBIN0002916	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रिक्सा चलाने का कार्य
3	स्व० मो० जाहीद आलम, 21, अ० पि० वर्ग	मो० फरीद उद्दीन(पिता)	488/29.11.19	ग्रा०-ईटैन, पो०-मनपुर, था०-चानन, लखीसराय	31988953 765	SBI Lakhisarai, SBIN0002968	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर्माण मजदूरी का कार्य
4	स्व० शारदा देवी, 30, अ० पि० वर्ग	श्री सुचित मंडल(पति)	497/2.12.19	ग्रा०-मनपुर, पो०-बघौर, था०-हलसी, लखीसराय	30438100 033178	BGB, Lakhisarai, BARBOLAKHIS	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर्माण मजदूरी(रंज) का कार्य
5	स्व० नीतिश कुमार, 20, अ० पि० वर्ग	श्री विनोद कुमार(पिता)	494/2.12.19	ग्रा०-खावारजपुर, पो०-किरणपुर, था०-मेदनीचौकी, लखीसराय	31050100 005114	BGB Mednichowki, PUNB0MBGB 06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूरी का कार्य
6	स्व० मकरंवर तांती, 44, श्री कंदार तांती, अनु० जाति	श्रीमती सविता देवी(पत्नी)	492/2.12.19	ग्रा०+पो०-सावण खैरमा, था०-तेतरहाट, लखीसराय	31140110 016782	BGB Halsi, PUNB0MBGB 06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूरी का कार्य
7	स्व० कदममाला देवी, 33, अ० पि० वर्ग	श्री बंगाली पाण्डेय(पति)	493/2.12.19	ग्रा०-शरमा, पो०+था०-रामगढ़चौक, लखीसराय	39360001 00043782	PNB, lakhisarai, PUNB0393600	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूरी का कार्य

कुल :- ₹ 350000/-

(तीन लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-07/2019 के पृष्ठ-25/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-07/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-07/2019-36

पटना, दिनांक :-10-08-2020


प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 350000/- (तीन लाख पचास हजार रूपए रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



कार्यकारी निदेशक।